प्रेषक़,

प्रभु एन. सिह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 13/10/2022**

विषय:- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/2020- एन०डी०एम-I दिनाँक 10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक मदो एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 संलग्नकों सहित निम्न बेवलिंक पर उपलब्ध है:-

(1) www.rahat.up.nic

(2)https://ndmindia.mha.gov.in/images/Items%20and%20Norms%20of%20assistance%20from%20SDRF%20and%20NDRF%20dtd%2010%20Oct%202022.pdf

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 उपाध्यक्ष के अवगतार्थ।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, डी०एम-I, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार निदेशालय, लखनऊ।
13. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
15. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
16. राजस्व अनुभाग-10
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभु एन. सिह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।